न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2025/234

1. भूतेरी पत्नी स्वरूप सिंह, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम कान्हडका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. गुरूदयाल सिंह पुत्र सोहनलाल,
2. प्यारे लाल पुत्र पुत्र सोहनलाल,
3. बिशम्भरदयाल पुत्र सोहन लाल,
4. सुनीता देवी पत्नी जसपाल सिंह,
5. पंकज कुमार पुत्र यशपालसिंह,
6. योगेश कुमार पुत्र यशपाल सिंह,
7. संगीता पुत्री यशपासिंह जाति मेघवाल निवासीयान ग्राम कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

8. सूरजभान उर्फ सुबेसिंह उर्फ वकील पुत्र नत्थू राम जामि मेघवाल निवासी ग्राम आलमपुर तहसील मकोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री जर्नादन शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से**

दिनांकः 10.11.2025

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम जिला जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2018 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 343, 344, 327 वाके ग्राम आलमपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 327, 343 अपीलान्ट के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 344 रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट गुरूदयाल द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 344 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम आलमपुर पर पुनः पैमाईश कर पत्थरगढ़ी पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 26.06.2010 के अनुसार की जाये। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढ़ी के आदेश पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 26.06.2010 के अनुसार किये जाने के आदेश पारित किये है, जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2010 में तैयार किये गये पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 पारित किया गया है। उक्त मौका पर्चा भी केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उपस्थिति में तैयार किया गया है, उक्त मौका पर्चा दिनांक 26.06.20210 की जानकारी

अपीलान्ट को नही है अर्थात अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में मौका पर्चा तैयार किया गया है जो विश्वसनीय नही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सुविधानुसार तैयार किया गया है। जिससे अपीलान्ट पाबन्द नही है तथा उक्त नक्शा मौका को तैयार कराये भी करीबन 9 साल व्यतित हो चुके है। इस प्रकार 9 साल पुराने मौका पर्चा के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका पर्चा वर्तमान में तैयार करवाकर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की एवं कानूनी बिन्दुओं को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2018 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 16.07.2019 को हुई जब रेस्पोडेन्ट राजस्व कर्मचारियों को साथ लेकर अपीलान्ट की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजीयात खसरा नम्बर 343, 327 वाके ग्राम आलमपुर पर पत्थरगढी करने पहुचे तथा अपीलान्ट द्वारा विरोध करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2018 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को हुई। इस पर अपीलान्ट अपने पति के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त की तथा जानकारी होने पर दिनांक 16.07.2019 को ही नकल के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 17.07.2019 को तैयार होकर प्राप्त हो गई। इस प्रकार से प्रथम जानकारी दिनांक 16.07.2019 को अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 की ओर से कोई भी उपस्थित नही।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपर न्यायालयो की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि भूमि विवादग्रस्त के खातेदार एवं पडौसीयान व अन्य ग्रामवासियों के समक्ष प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2010 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपीलार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित कर प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष के अधिवक्ता के निवेदन पर ही पत्रावली कैम्प कोर्ट कोटकासिम पर नियत

की गई थी। सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार तत्समय किसी प्रकार का विवाद होना नही पाया गया है एवं हस्तगत प्रकरण में दिनांक 26.06.2010 को किये गये सीमाज्ञान के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 को यथावत रखा जाता है एवं तहसीलदार कोटकासिम को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 की पालना में उभयपक्ष की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि की पत्थरगढ़ी कार्यवाही नियमानुसार व विधि सम्मत सम्पाति की जावें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,